खण्ड-III

आयोजना परिव्यय 2016-2017

1. 2016-17 के लिए प्रस्तावित 550010 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.26 प्रतिशत और बजट अनुमानों (2015-16) की तुलना में 18.2% अधिक है। इससे एक ओर अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को आगे और अधिक बढ़ावा देने तथा दूसरी ओर विकासात्मक क्रियाकलापों पर व्यय और विशेषकर कृषि क्षेत्रक, सामाजिक कल्याण क्षेत्रों तथा रोजगार सृजन क्षेत्र में व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने में सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

2. 2016-17 का आयोजना प्राक्कलन केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के यौक्तिकीकरण हेतु गठित मुख्यमंत्रियों के उपसमूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संशोधित वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर लगाया जाना है। सरकार के निर्णय के अनुसार, 'कोर ऑफ द कोर' स्कीमों के रूप में परिभाषित अनेक स्कीम के संबंध में मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसी स्कीमों की एक सूची अनुबंध 'क' पर भी संलग्न है।

3. कोर स्कीमें जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में भी शामिल की गई हैं, से संबंधित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार वित्तपोषण की राशि का केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात (8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालय क्षेत्रीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात) में साझा किया जाएगा। ऐसी स्कीमों की एक सूची अनुबंध 'ख' पर दी गई है।

4. यदि उपर्युक्त सूची में शामिल की गई किसी स्कीम/उप-स्कीम में 60:40 से कम का केंद्रीय वित्तपोषण पैटर्न अपनाया जाता हो तो मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न को जारी रखा जाएगा। अन्य सभी स्कीमें (जिनका अनुबंध क और ख में उल्लेख नहीं किया गया है) राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक होंगी तथा उनका केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण पैटर्न 50:50 के अनुपात (8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालय क्षेत्रीय राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात) में होगा।

5. अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है कि कुछ चुनिंदा मंत्रालयों के अधीनवर्ती सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के जरिए बांड जारी करके लगभग 31300 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाए। इस प्रकार जुटाई गई राशि का ब्योरा अनुबंध 'ग' में दिया गया है।

6. कार्यक्रमों तथा स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रभावी परिणाम आधारित मानिटरिंग तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सभी मंत्रालयों और विभागों की आयोजना तथा आयोजना-भिन्न स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य किया गया है। मौजूदा कार्यक्रमों और स्कीमों को परिणाम आधारित अंब्रेला कार्यक्रम तथा संसाधनों के विरल वितरण न होने देने की स्कीम के रूप में पुनर्संगठित किया गया है। स्कीमों के युक्तियुक्त सेट से मंत्रालयों/विभागों की संगत विस्तृत अनुदान मांगों में उल्लिखित स्कीमों/उप-स्कीमों के आमेलन का मार्ग प्रशस्त होगा ताकि स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए एक अधिक संगत रूपरेखा तैयार की जा सके। इससे मंत्रालयों/विभागों को स्कीमों के निष्पादन के लिए अधिक लोच प्राप्त होगा।

7. बजटीय आवंटन की अधिक पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने तथा बजट के निष्पादन के संबंध में अधिक प्रभावी समीक्षा करने की दृष्टि से किसी एक मंत्रालय के पृथक प्रशासनिक यूनिटों की कुछ अनुदान मांगों को मुख्य मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांग के साथ आामेलित/सम्मिलित कर दिया गया है। तदनुसार, प्राक्कलन समिति के अनुमोदन से अनुदान मांगों की संख्या 2016-17 के बजट में 109 से घटकर 98 रह गई है।

अनुमान है कि वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्रीय आयोजना परिव्यय (सार्वजनिक उद्यमों के संसाधनों सहित) वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 22.10 प्रतिशत तथा 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 21.20 प्रतिशत उच्चतर होगी। ब्यौरे नीचे सारणी में दिए जा रहे हैं :-

(₹ करोड़)

	वास्तविक आंकड़े 2014-15	बजट अनुमान 2015-2016	संशोधित अनुमान 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता	191814.48	260493.03	261088.80	308109.56
सार्वजनिक उद्यमों के आन्तरिक और बजटेतर संसाधन	229067.15	317888.64	321617.98	398138.84
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**420881.63**	**578381.67**	**582706.78**	**706248.40**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**270829.09**	**204784.01**	**216107.76**	**241900.44**

कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

फसल कार्य : कृषोन्नति योजना नाम से एक अम्ब्रेला स्कीम विविध विकास संबंधी कार्यक्रमों/स्कीमों जो कि - मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सहकारिता संबंधी समेकित स्कीम, कृषि विपणन, कृषि गणना और सांख्यिकी, बागवानी, वहनीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संबंधी परियोजना है, को कवर करेगी। कुल केंद्रीय आयोजना 7651.00 करोड़ रुपए की है जिसमें से 5500.00 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (राष्ट्रीय फसल बीमा) के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों जैसेकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन तथा तेल ताड़ मिशन, राष्ट्रीय वहनीय कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, बागबानी विकास मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 12749 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन : श्वेत क्रांति - राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जोकि डेरी उद्योग विकास, डेरी उद्यमिता, पशुधन तथा चारा विकास स्कीमों को कवर करता है। पशुधन स्वास्थ्य तथा बीमारी नियंत्रण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोधन प्रजनन कार्यक्रम, पशु विकास तथा देसी नस्लों की एक नई स्कीम के लिए 578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नील क्रांति : समेकित मात्स्यिकी विकास एवं प्रबंधन तथा मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता के लिए 450 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम : पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशुधन गणना तथा समेकित प्रतिदर्श सर्वेक्षण, पशुपालन संस्थान को सहायता, पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए 572 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

वानिकी तथा वन्य जीवन : पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का

आयोजनागत परिव्यय 2000 करोड़ रुपए का है जिमसें राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। बाह्य पोषित परियोजनाओं के लिए कुल आयोजना आवंटन 290.99 करोड़ रुपए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वानिकी कार्मिकों हेतु क्षमता निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए, खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के लिए 15 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन परियोजनाओं (एनसीएमपी) के लिए 223.98 करोड़ रुपए, हरित भारत मिशन : राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के लिए 0.01 करोड़ रुपए, जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका संवर्धन (बीसीआरएलआईपी) के लिए 12 करोड़ रुपए तथा पुणे शहर के मुला मुथा नदी से संबंधित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के लिए आवंटित की गई 1000 करोड़ रुपए की राशि में से जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए 30 करोड़ रुपए, जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष हेतु 100 करोड़ रुपए, हिमालय क्षेत्रीय अध्ययन हेतु राष्ट्रीय मिशन के लिए 50 करोड़ रुपए, हरित भारत मिशन : राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम हेतु 185 करोड़ रुपए, वन प्रबंधन के सघनीकरण हेतु 50 करोड़ रुपए, बाघ परियोजना हेतु 295 करोड़ रुपए, हाथी परियेाजना हेतु 25 करोड़ रुपए, वन्य जीवों के वास स्थान के समेकित विकास हेतु 100 करोड़ रुपए, मैंग्रोव तथा मूंगा या प्रवाल के संरक्षण हेतु 18 करोड़ रुपए, जैव आरक्षित क्षेत्रों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि, जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) हेतु 60 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय हेतु 7 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) हेतु 70 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों को 10 प्रतिशत की अधिदेशित अपेक्षा को पूरा करने के लिए 172.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सकल बजटीय सहायता के 2.2 प्रतिशत अनिवार्य अपेक्षा के अनुरूप अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 37.75 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष वैज्ञानिक संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा कार्यों के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय योजना परिव्यय के मुख्य घटक गुणवत्ता परक बीजों के उत्पादन के संदर्भ में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करना, उच्च फसल वाली वैराइटी/संकर नस्लों का विकास, बायोटेक्नालोजी का अनुप्रयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का निराकरण, संसाधन संरक्षण, दक्षता बढ़ाने वाले अवदान, ऑर्गेनिक खेती के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी, टीकों तथा निदानों का विकास, अतिरिक्त मूल्य वृद्धि तथा लैंगिक मामले आदि है। 2016-17 के लिए इस क्षेत्र का योजना परिव्यय 3700.00 करोड़ रुपए है। इसमें से 370.00 करोड़ रुपए (47.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के लिए + 25.00 करोड़ रुपए टीएसपी के लिए सहित) उप-शीर्ष ''राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन तथा जलवायु आश्रित कृषि पहलों के लिए; 1190.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 25.00 करोड़ रुपए + टीएसपी के लिए 26.00 करोड़ रुपए सहित) उप-शीर्ष 'फसल विज्ञान' के लिए; 360.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20.00 करोड़ रुपए + टीएसपी के लिए 12.00 करोड़ रुपए सहित) उपशीर्ष 'पशुपालन' के लिए; 630 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25.00 करोड़ रुपए ३ टीएसपी के लिए 38.20 करोड़ रुपए सहित) उप-शीर्ष 'कृषि शिक्षा' के लिए; 850 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 83.00 करोड़ रुपए + टीएसपी के लिए 32.00 करोड़ रुपए सहित) उप-शीर्ष 'कृषि अभियांत्रिकी तथा विस्तार' के लिए; 300.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 170.00 करोड़ रुपए सहित) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के लिए आवंटित किए गए हैं।

खाद्य भंडारण तथा भांडागारण : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और उनका संवितरण करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। 2016-17 में 52.00 करोड़ रुपए की राशि भारतीय खाद्य निगम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा राज्य सरकारों द्वारा गोदामों का निर्माण' स्कीम के लिए आवंटित की गई है। टीपीडीएस कार्य के कम्प्यूटरीकरण की योजना स्कीम के लिए 2016-17 में 75.00 करोड़ रुपए का परिव्यय दिया गया है। अम्ब्रेला स्कीम 'पीडीएस का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण एवं परामर्श और अनुसंधान के साथ-साथ दो नई स्कीमें नामतः गुणवत्ता नियंत्रण और राज्य खाद्य आयोग हेतु क्षमता भिन्न आस्तियों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता' का क्रियान्वयन 2016-17 में 5.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से किया जा रहा है। इन स्कीमों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आयोजना स्कीम सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य अधिप्राप्ति भंडारण और पूरे देश में वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता के पहलुओं का मानीटर करना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समुचित कम्प्यूटरीकरण कार्य के घटक-1 का क्रियान्वयन वर्तमान में राशन कार्डों का और अन्य आंकड़ाधारों का डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टलों और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के माध्यम से टीपीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा है। भांडागार विकास और विनियामक प्रधिकरण के लिए 18.00 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। केंद्रीय भांडागारण निगम आईईबीआर स्कीम के अंतर्गत 153.82 करोड़ रुपए के कुल व्यय से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी भांडागारण क्षमता 1.42 लाख रुपए मीटिक टन बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु 600.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण रोजगार : 2016-2017 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)/आजीविका के लिए परिव्यय 3000.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु 218.50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

जून, 2010 में एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएस) के रूप में पुनर्गठित किया गया है जिसका उद्देश्य इसे एक चरणबद्ध रूप में मिशन मोड में लागू किया जा सके ताकि परिणाम लक्षित तथा समयबद्ध रूप में प्राप्त हों। एनआरएलएस को अब 'आजीविका' नामा दिया गया है। एसजीएसवाई की तुलना में आजीविका के अंतर्गत दो प्रमुख कार्यनीतिक बदलाव यह है कि (i) आजीविका एक मांग प्रेरित कार्यक्रम होगी तथा राज्य अपने विगत के अनुभवों, संसाधनों तथा कौशल आधार को देखते हुए इसके अंतर्गत अपना गरीबी न्यूनीकरण कार्य योजना तैयार करेंगे, तथा (ii) आजीविका विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय से लेकर उप-जिला स्तर के सभी स्तरों पर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक व्यावसायिक सहायता ढांचा उपलब्ध कराएगी।

आजीविका के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को गठित करके समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक ग्रामीण बीपीएल परिवार का कम से कम एक सदस्य जो अधिमानतः महिला सदस्य हो, को स्वसहायता समूह (एसएचजी) के दायरे में लाया जाए। लोगों के सहयोग से एक सुदृढ़ संस्था गठित करने की दृष्टि से अजीविका के अंतर्गत ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तरों तक के स्व-सेवासमूहों का परिसंघ स्थापित करने पर ध्यान दिया जाएगा। सर्वसुलभ वित्तीय समावेशन का लक्ष्य स्वसेवा समूहों को ऋण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से संबद्ध करके प्राप्त किया जाएगा। आजीविकास के अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन से जुड़े लोगों तथा अन्य स्टेकधारकों जैसे कि बैंकरों, पीआरआई कार्यकर्ताओं आदि क्षमता सृजन तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। खपत तथा आय सृजक क्रियाकलापों दोनों के संदर्भ में अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रति स्वसेवा समूह (एसएचजी) 10000 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक की परिक्रामी निधि उपलब्ध कराई गई है। स्वसेवा समूहों (एसएचसी) को बैंकों को ऋण की शीघ्र अदायगी करने पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गरीब परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक की सीमा के अंतर्गत बैंकों से प्राप्त किए गए प्रत्येक ऋण के लिए 7 प्रतिशत और मूल ऋण दर (पीएलआर) के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा।

महिला किसानों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने और ग्रामीण महिला;

सर्वाधिक लघु और सीमांत महिला, किसानों के लिए सामाजिक-आर्थिक और प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण हासिल करने हेतु एनआरएलएम के उप घटक के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) शुरू की गई है।

एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना की एक स्कीम देश के प्रत्येक जिले में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल युवाओं को मूलभूत और कौशल विकास का प्रशिक्षण देना है जिससे कि वे अपने निर्वाह रोजगार के लिए सूक्ष्म उद्यम शुरू कर सकें।

एनआरएलएम के अंतर्गत 25 प्रतिशत निधियां नौकरी से जुड़े कौशल विकास तथा नवोन्मेषी विशेष परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। कौशल विकास की प्रत्येक विशिष्ट परियोजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के युवाओं को नियमित निर्वाह रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देना तथा उनका क्षमता निर्माण करना है ताकि कुछ विशेष संस्था में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में लगाया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय 'जम्मू कश्मीर में कौशल सशक्तीकरण तथा रोजगार' नाम से एक नई स्कीम 'हिमायत' शुरू कर रहा है। इसमें जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से अगले पांच वर्षों में एक लाख युवकों को कवर किया जाएगा। इसमें स्कूल छोड़ चुके, अंडर ग्रेजुएट जैसे सभी विविध युवकों को कवर किया जाएगा।

ग्रामीण रोजगार : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सकीम के लिए 2016-17 में केंद्रीय परिव्यय 37000.00 करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका कार्यान्वयन 2 फरवरी, 2006 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिनों का अकुशल दिहाड़ी रोजगार का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने की व्यवस्था करना है। देश में इस कार्यक्रम की प्रारंभिक शुरुआत 200 अत्याधिक पिछड़े जिलों में की गई थी, बाद में इस कार्यक्रम की विस्तार दो चरणों में संपूर्ण देश में कर दिया गया था।

मनरेगा में टिकाऊ और उत्पादक आस्तियों के सृजन की परिकल्पना की जाती है जिससे बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और प्रास्थितिकी विकास में योगदान मिलेगा। आस्ति सृजन के उद्देश्य में भी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है और इसके लिए कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी एवं विभागीय कन्वर्जेन्स की आवश्यकता होती है।

पिछड़े जिलों पर विशेष जोर दिया गया जो भारत सरकार की समेकित कार्य योजना में शामिल किए गए हैं। ऐसे समेकित कार्य योजना में मनरेगा के कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में नकद भुगतान की अनुमति दी गई जहां बैंकों/डाक घरों की पहुंच कम है। मनरेगा के अंतर्गत क्रीड़ा क्षेत्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले एक अनुमेय क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए सरकार द्वारा लिए गए 51 जिलों में से आधार समर्थित मजदूरी का भुगतान 46 ग्रामीण जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

वर्ष 2016-17 के लिए कुल योजना परिव्यय 1000.00 करोड़ रुपए है। इसमें एनआईआरडी के लिए (50.00 करोड़ रुपए), कापार्ट के लिए (20.00 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए (255.00 करोड़ रुपए), बीपीएल सर्वेक्षण के लिए (375.00 करोड़ रुपए), एसपीएम ग्रामीण मिशन के लिए (300 करोड़ रुपए) का प्रावधान सम्मिलित है। इसमें से 98.00 करोड़ रुपए की राशि 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम' के लिए अलग से रखी गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के विकास संबंधी मुद्दों, क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य है।

जन कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद (कापार्ट) का उद्देश्य लोगों को गैर-सरकारी संगठनों के जरिए विकास संबंधी कार्यक्रमों के साथ-साथ आवश्यकता आधारित नवप्रवर्तन परियोजनाओं में भी लगाना है। कार्पाट उच्च स्तरीय सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक बाधाओं के न्यूनीकरण और ग्रामीण गरीबों के सशक्तिकरण के साधनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आंदोलन के सृजन के लिए कार्य करता है।

इसमें प्रशिक्षण कार्यकलापों, जागरूकता, सृजन, निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न तथ्यों को परिपूरित करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

यह प्रावधान मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लक्षित किए जा सकने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए बीपीएल सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी, आर्थिक कार्यकलापों का विकास और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए 2014-15 के बजट में एसपीएमआरएम की घोषणा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता/स्तर में सुधार लाना, ग्रामीण-शहरी के बीच अंतर को पाटना और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को पलायन में कमी लाना तथा सांयोगिक रूप से शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने को सुकर बनाना है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए कुल परिव्यय 9500 करोड़ रुपए है, जिसमें से 950.00 करोड़ रुपए की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राज्यों को सहायता के दायरे में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएमओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईआरएमडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा योजना आती हैं।

पंचायती राज : वर्ष 2016-17 के लिए पंचायती राज मंत्रालय का केंद्रीय आयोजना परिव्यय 750.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 655.00 करोड़ रुपए की राशि क्षमता निर्माण; पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए निर्धारित की गई है। 70.00 करोड़ रुपए की राशि 'डिजिटल इंडिया' स्कीम के तहत ई-पंचायत और पंचायत के लिए एटीएम के लिए निर्धारित की गई है।

भूमि सुधार : भूमि सुधार के भाग के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डिजिटल भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर), नक्शों के डिजिटाइजेशन, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सर्वेक्षण/पुनसर्वेक्षण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, संबंधित कार्मिकों और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, भू-अभिलेख और पंजीकरण

कार्यालयों और आधुनिक अभिलेख कक्षों तथा तहसील/तालुक/सर्कल/ब्लॉक स्तर पर रिकार्ड प्रबंधन केंद्र के मध्य कनेक्टिविटी। एनएलआरएमपी के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यकलाप जिले में अधिरोपण की इकाई के रूप में समाभिरूपता लाना है। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य देश में नामों वाली चालू प्रणाली को बदलने के लिए समावेशी खोज की प्रणाली को प्रोत्साहित करना है। परियोजनाओं/प्रस्ताव की संस्वीकृति के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्र स्तरीय परियोजना/प्रस्ताव संस्वीकृति एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। अब तक, इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 457 जिलों को निधियां प्रदान की जा चुकी हैं। राज्य उच्चतर विकास के दृष्टिगत संवर्धित संसाधन जुटा सकते हैं। केंद्र राज्य का वित्तपोषण प्रतिरूप का अनुपात बदलकर 50:50 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 80:20 कर दिया गया है। तथापि, 2016-2017 से इस कार्यक्रम का नाम बदलने के साथ, इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना माना जाएगा जिसमें 100 प्रतिशत धनराशि केंद्र देगा।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

1. **मुख्य सिंचाई परियोजनाएं :** कुल परिव्यय 204.00 करोड़ रुपए। यह घटक (i) पोलावरम बहु-उद्देश्यीय परियोजना (ii) फरक्का बांध परियोजना और (iii) बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) के उद्देश्य से है।

2. **नमामि गंगे :** कुल परिव्यय 2250.00 करोड़ रुपए। यह घटक (i) नदी के फ्रंट के सौंदर्यकरण के लिए घाट निर्माण; (ii) राष्ट्रीय गंगा आयोजना के लिए है। इस घटक के लिए निधि को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से पूरा किया जाएगा।

3. **गंगा बेसिन प्रबंधन :** कुल परिव्यय 259.60 करोड़ रुपए। यह घटक (i) राष्ट्रीय जल अभियान के कार्यान्वयन; (ii) नदी बेसिन प्रबंधन; (iii) बाढ़ की भविष्यवाणी करने और (iv) नदियों को आपस में जोड़ने के लिए है।

4. **जल संसाधन प्रबंधन :** कुल परिव्यय 660.27 करोड़ रुपए। यह घटक (i) जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस); (ii) भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन; (iii) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी); (iv)जल संसाधनों का अनुसंधान और विकास कार्यक्रम; (v) सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम; (vi) मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों; और (vii) अवसंरचना विकास के लिए है।

5. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :** एआईबीपी और एचकेकेपी - कुल परिव्यय 1876.13 करोड़ रुपए। यह घटक (i) त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी); (ii) हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई); (iii) प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन; (iv) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम; (v) नदी प्रबंधन कार्यक्रमों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों; और (vi) सिंचाई गणना के लिए है।

6. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोजना :** कुल परिव्यय 250.00 करोड़ रुपए। इस घटक का उद्देश्य गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों का प्रदूषण से संरक्षण और रोकथाम करना है। इस घटक से संबंधित निधि को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से पूरा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना (पीएमकेएसवाई) : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना निम्न 3 घटकों वाला कार्यक्रम है :

(i) कृषि और सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम (2340.00 करोड़ रुपए)।

(ii) जल संसाधन, नदी और गंगा पुनरुद्धार विभाग के अंतर्गत त्वरित सिंचाई प्रसुविधा योजना। (2000 करोड़ रुपए)।

(iii) भू-संसाधन विभाग के साथ जल संभर घटक (1500.00 करोड़ रुपए)।

ऊर्जा

विद्युत क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय है (74883.57 करोड़ रुपए), जिसमें से (12,200.00 करोड़ रुपए) बजटीय सहायता है। योजनागत बजटीय सहायता योजनाओं के 8 बड़े समूहों के लिए है। ये समूह है - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक प्राधिकरण, अनुसंधान और प्रशिक्षण, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत जल विकास स्कीम, संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ)। दीन दयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना में दीन दयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना की नई योजना में आमेलित कर दी गई पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित सब्सिडी के घटक सम्मिलित होंगे। आईपीडीएस के लिए प्रमुख आबंटन (5,500.00 करोड़ रुपए), डीडीयूजीजेवाई के लिए (3,000.00 करोड़ रुपए) और पीएसडीएफ के लिए (1,900.00 करोड़ रुपए) है।

आईईबीआर के लिए धनराशि (62683.57 करोड़ रुपए) है, जो एनटीपीसी की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए (30,000.00 करोड़ रुपए), एनएचपीसी के लिए (3,590.72 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के लिए (3,302.57 करोड़ रुपए), नार्थ ईस्ट इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) के लिए (890.91 करोड़ रुपए), एसजेवीएन के लिए (1,000.00 करोड़ रुपए), टीएचडीसी के लिए (1,399.37 करोड़ रुपए) और पीजीसीआईएल के लिए (22,500.00 करोड़ रुपए है।

पेट्रोलियम : वर्ष 2016-17 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आयोग का परिव्यय 2050 करोड़ रुपए है। 2000.00 करोड़ रुपए की राशि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु निर्धारित की गई है।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसंरचना सहायता के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2016-17 के दौरान कोयला और लिग्नाइट के लिए आयोजना परिव्यय 16643.92 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। इस आयोजना परिव्यय को अंशतः 300.00 करोड़ रुपए की संभावित बजटीय सहायता से और अंशतः 551.00 करोड़ रुपए के जीबीएस, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के आईईबीआर में से 13313.00 करोड़ रुपए के निवेश सहित 2015-16 के लिए 13864.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय के संशोधित अनुमानों की तुलना में कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा सृजित किए जाने वाले प्रस्तावित उनके स्वयं के आंतरिक बाह्य तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2016-17 में जनजातीय उप-आयोजना के लिए 8.2 प्रतिशत (18.00 करोड़ रुपए) और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत (15.00 करोड़ रुपए) का अनिवार्य प्रावधान किया गया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा : मंत्रालय का व्यापक उद्देश्य देश की ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण अनुकूल और सतत तरीके से विकसित और इस्तेमाल करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वर्ष 2016-17 में वार्षिक आयोजना में 10192.83 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय रखा गया है। इस परिव्यय में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से 5000 करोड़ रुपए और आं.बा. बजट संसाधनों के रूप में 5192.83 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है। वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप तय किए गए हैं :

(क) : ग्रिड इंटरेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिड रिन्युएबल पावर : खोई सह-उत्पादन सहित और सौर, पवन लघु पनबिजली तथा बायोमास से

ग्रिड इन्टेरेक्टिव पावर कैपेसिटी अभिवर्धन के लिए सीएफए के प्रावधान का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ष के दौरान, भौतिक लक्ष्यों की दृष्टि से प्रमुख योगदानकर्ता सौर और पवन ऊर्जा अर्थात क्रमशः 12000 मेगावाट तथा 4100 मेगावाट; से आएंगे। ऊर्जा भंडारण पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण अवसंरचना के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर स्कीम के तहत अंतरा-राज्य पारेषण लाइनों में केंद्रीय सरकार के घटक को भी कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) : ऑफ ग्रिड/संवितरित और विकेंद्रित नवीकरण : जीएफए का उपयोग ऑफ ग्रिड/संवितरित और विकेन्द्रित नवीकरण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। शामिल किए गए प्रमुख कार्यक्रम हैं - ऑफ ग्रिड/संवितरित और विकेंद्रित कार्यक्रम अर्थात सौर प्रकाश व्यवस्था, सौर ऊर्जा चालित पंप आदि, बायो गैस कार्यक्रम, सुदूर गांव विद्युतीकरण कार्यक्रम, विकेंद्रित बायो विद्युत कार्यक्रम आदि। जैव ईंधन तथा ऊर्जा भंडारण संबंधी दो कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की जाएंगी।

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, अभिकल्पन और विकास तथा अंतराराष्ट्रीय सहयोग : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों; मानक और परीक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा मूल्यांकन के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्यकलाप। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, चल रहे अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तपोषण के अलावा, 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई सूर्य मित्र योजना के लिए भी निधियां आबंटित की गई हैं। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय नवीन ऊर्जा और नवप्रवर्तन संस्थान नामक एक केंद्र की स्थापना, जिसके लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमि पहले ही आबंटित कर दी है, नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी संग्रहालय की स्थापना सहित कुछ नवीन और अभिनव परियोजनाएं प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं से व्यापक तौर पर प्रारंभ पूर्व कार्यकलापों को वित्तपोषित किया जाएगा।

(घ) : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत, सदस्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौते और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी विपुल राशि में अंशदान हेतु विशेष रूप से निधियां आबंटित की जाती हैं।

(ङ) : स्वायत्त निकाय : बहुराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा स्वायत्त निकायों, अर्थात राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान की सहायता के लिए बजट रखा गया है।

(च) : आईएमजी अनुशंसित योजनाओं/ परियोजनाओं का वित्तपोषण : चूंकि वर्ष के दौरान एनसीईएफ के जरिए सभी कार्यक्रम/योजनाएं वित्तपोषित की जा रही है, अतः बजट में प्रावधान किए गए परिव्यय का उपयोग अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा अनुशंसित एनसीईएफ योजनाओं और परियोजनाओं तथा उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत विधिवत अनुमोदन के साथ एनसीईएफ के तहत अनुमोदित एसईसीआई के जरिए सौर परियोजनाओं से संबंधित वीजीएफ योजनाओं के लिए भी किया जाएगा।

(छ) : सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए प्रावधान : सौर ऊर्जा कार्यक्रमों अर्थात सौर पार्कों, ग्रिड से जुड़े सोलर रूफटॉप कार्यक्रम, वीजीएफ परियोजनाओं/योजनाओं, सौर चालित पंप कार्यक्रम सहित अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौते (आईएसए) और ऑफ ग्रिड और अनुप्रयोग संबंधी कार्यकलापों भारतीय सौर ऊर्जा निगम, विदेशी सहायता प्राप्त सौर ऊर्जा परियेाजनाओं को सहायता तथा सौर ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु पारेषण अवसंरचना के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए का समग्र बजट रखा गया है।

(ज) : पवन ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए प्रावधान : पवन ऊर्जा कार्यक्रम अर्थात पवन ऊर्जा के विकास हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, आफ ग्रिड पवन ऊर्जा कार्यक्रमों और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

(झ) : सिक्किम अनुसूचित जाति उप-आयोजना और जनजातीय उप-आयोजना सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान : पूर्वोत्तर क्षेत्र अनुसूचित जाति उप-आयोजना और जनजातीय उप-योजना के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत , 3.5 प्रतिशत और 1.75 प्रतिशत बजट निर्धारित किया गया है।

(ञ) : प्रचार और जागरूकता सृजन के लिए प्रावधान : संगत योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत बजटीय अनुमानों का 3 प्रतिशत प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के विज्ञापन, प्रचार, जागरूकता सृजन के लिए अलग से रखा जाएगा।

उद्योग और खनिज : वार्षिक आयोजना 2016-17 (बजट अनुमान) में 10308.53 करोड़ रुपए के आं.एवं बा. बजट संसाधनों के कुल परिव्यय में से, 4000.00 करोड़ रुपए की राशि का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के लिए इसकी विभिन्न चालू और नई योजनाओं/परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 1678.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसका बड़ा भाग आरआईएनएल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नियत किया गया है। शेष परिव्यय एएमआर योजनाओं के लिए है। आरआईएनएल के परिव्यय में दो आनुषंगिक सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयाँ अर्थात, ओएमडीसी लिमिटेड और बीएसएलसी लिमिटेड शामिल है, जो पहले बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज का घटक थीं। एनएमडीसी लिमिटेड हेतु छत्तीसगढ़ के नागरनार स्थित 3 एमटीपीए इस्पात संयंत्र के लिए 3964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शेष परिव्यय एएमआर/टाउनशिप ओर अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए है। केआईओसीएल लिमिटेड के लिए (i) कर्नाटक राज्य में देवदारी लौह अयस्क निक्षेप के विकास और विस्फोट भट्टी इकाई आदि में एकीकरण परियेाजना अग्रेषण; (ii) आंध्र प्रदेश सकरार के अधीन राज्य के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नामतः एपीएमडीसी के साथ लौह-अयस्क निक्षेप के साथ संयुक्त विकास स्लर्री पाइप लाइन एंड पेल्लेट प्लांट की स्थापना हेतु एनएमडीसी और आरआईएनएल के साथ इक्विटी भागीदारी; और (iii) निर्माण, स्वामित्व और संचालन (बू) आधार पर बोकारो इस्पात संयंत्र में 1.5 एमटीपीए पेल्लेट संयंत्र की स्थापना के लिए 500.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। एमओआईएल लिमिटेड के लिए बालाघाट चिकला, कांडरी, उकवा, मुंसार और गुमगांव खान में वर्टिकल साफ्ट की खुदाई/गहरा करने, सेल और आरआईएनएल के साथ फेर्रो/सिलिको मैगनीज विनिर्माण हेतु संयुक्त निवेश, नए क्षेत्रों के विकास और भूमि, वन ओर पर्यावरण क्लियरेंस, संभावनाओं और अन्वेषण सहित तथा एएमआर योजनाओं, टाउनशिप, अनुसंधान एवं विकास/व्यवहार्यता अध्ययनों आदि के लिए 139.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संपूर्ण परिव्यय को कंपनी के आं.बा. ब.सं. से पूरा किया जाएगा। एमईसीओआईएन लिमिटेड के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थल/अतिथि गृह के विस्तार, परिशोधन और अभिवर्धन हेतु 5.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। कंपनी के आं.बा ब.सं. से पूरे किए जाने वाला 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान एमएसटीसी लिमिटेड के लिए श्रेडिंग प्लांट की स्थापना हेतु किया गया है। फेर्रो स्क्रेप निगम लिमिटेड हेतु एएमआर स्कीमों के लिए 12.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय की केवल आयोजना स्कीमों अर्थात लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए स्कीम हेतु 15.00 सकल बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

भारी उद्योग विभाग: वार्षिक आयोजना परिव्यय 2016-17 में तीन अम्ब्रेला स्कीमें अर्थात ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास, जिसकी दो मुख्य स्कीमें हैं अर्थात नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना और इंडिया-फेम इंडिया में फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, "पूंजी वस्तु क्षेत्र का विकास, जिसकी एक मुख्य उप-स्कीम अर्थात "भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की बढ़ोतरी" और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम को सहायता, मुख्यतः सीपीएसई के पुनरूद्धार। पुनर्गठन के लिए /भारी उद्योग विभाग के लिए कुल परिव्यय 890.26 करोड़ रुपए है, जिसमें से 300.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और आईईबीआर 590.06 करोड़ रुपए है। 300.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से 199.91 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के लिए आवंटित किया गया है, 50.01 करोड़ रुपए पूंजी वस्तु क्षेत्र के विकास के लिए और 50.08 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता के लिए है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 30.01 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 3439.00 करोड़ रुपए है (जिसमें आईईबीआर के लिए 439.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें खादी, ग्रामीण और कॉयर उद्योग विकास के लिए परिव्यय (530.00 करोड़ रुपए) प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन (485.00 करोड़ रुपए) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीम (1439.50 करोड़ रुपए) बाजार संवर्धन स्कीम (43.50 करोड़ रुपए), उद्यमिता और कौशल विकास (120.50 करोड़ रुपए), अवसंरचना विकास कार्यक्रम (351.00 करोड़ रुपए (351.00 करोड़ रुपए ईएपी सहित) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (439.00 करोड़ रुपए अं.ब. ब.स. के जरिए)।

कपड़ा: कपड़ा मंत्रालय के लिए परिव्यय 3350.00 करोड़ रुपए है (जिसमें 335.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 167.50 करोड़ रुपए एससीएसपी के लिए और 40.20 करोड़ रुपए टीएसपी के लिए है), जो मुख्यतः (i) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (1480.00 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (547.00 करोड़ रुपए) (iii) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (219.00 करोड़ रुपए) (iv) ऊनी कपड़ा विकास (29.01 करोड़ रुपए) (v) रेशम उद्योग विकास (172.50 करोड़ रुपए) (vi) विद्युत करघा संवर्धन स्कीम (115.03 करोड़ रुपए) (vii) कपड़ा असंरचना (157.62 करोड़ रुपए) (viii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान सहित अनुसंधान और क्षमता निर्माण (308.83 करोड़ रुपए) (ix) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-टेक्सटाइल उपयोग स्कीम और उत्तर पूर्व में एग्रो टेक्सटाइल्स संवर्धन स्कीम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र कपड़ा संवर्धन स्कीम (255.98 करोड़ रुपए) आदि।

परिवहन

रेलवे: रेलवे आयोजना परिव्यय 2016-17 के लिए 121000.00 करोड़ रुपए है। इसमें से 45000.00 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता से पूरा किया गया, जिसमें केन्द्रीय सड़क निधि से 10780.00 करोड़ रुपए शामिल है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग: अवसंरचना का विकास विशेषकर सड़क अवसंरचना देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया त्वरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके मद्देनजर बजटीय सहायता 55000 करोड़ रुपए बढ़ाई गई है। इसमें विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन शामिल है (इसमें कलादान बहु-मोडल परिवहन परियोजना)-5000 करोड़ रुपए शामिल है। केन्द्रीय सड़क निधि के आवंटन में एनएचए आई के लिए आवंटन शामिल है-निवेश 12,153 करोड़ रुपए है, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल निर्माण कार्य) 15,500 करोड़ रुपए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता के विकास हेतु, विशेष कार्यक्रम (जनजाति उप-योजना के लिए 400 करोड़ रुपए सहित)-700 करोड़ रुपए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीआरएफ-10,993 करोड़ रुपए, आर्थिक महत्व के राज्य की सड़कें और अन्तर्राज्यीय सम्पर्कता-1,233 करोड़ रुपए और सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए।

पोत परिवहन

वर्ष 2016-17 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय सकल बजटीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपए सहित 3183.14 करोड़ रुपए है। यह भारतीय पोत परिवहन, सागरमाला परियोजना सहित पत्तनों के विकास के लिए, अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र और जहाज निर्माण उद्योग के लिए है। इसमें, आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन के रूप में 2183.14 करोड़ रुपए शामिल है। सकल बजटीय सहायता के 1000 करोड़ रुपए में से 350 करोड़ रुपए का प्रावधान अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र और 450 करोड़ रुपए सागरमाला परियोजना के लिए रखा गया है। सागरमाला को पत्तन सड़क और रेल के जरिए भीतरी प्रदेश से जोड़ दिया जाएगा।

नागर विमानन

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एयर इंडिया लिमिटेड में इक्विटी अनुप्रेरण के लिए 1713.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता अलग से रखी गई है। 42.30 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालयों के लिए रखी गई है। भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण को 100.30 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है, जिसमें से 28.70 करोड़ रुपए पाकयोंग सिक्किम (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में इसकी परियोजना के लिए अलग से रखा गया है।79.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता नागर विमानन महानिदेशालय को अपनी आयोजना स्कीमों पर कार्य करने के लिए दी गई है। 65.00 करोड़ रुपए का प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए अपनी आयोजना स्कीमों के लिए व्यय पूरा करने के लिए किया गया है। एयरो क्लब ऑफ इंडिया, पवन हंस लि. आईजीआरयूए और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में से प्रत्येक के लिए 10.00 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान दिया गया है।

सड़कें और पुल : वर्ष 2016-17 के लिए कुल परिव्यय 19000.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1398.00 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखा गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, कोर नेटवर्क में विद्यमान सभी पात्र और पहले से न जुड़े वासस्थलों को सभी मौसमों में बनी रहने वाले सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निहित एक केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले सभी अर्हक सड़क मार्ग से न जुड़े हुए वासस्थलों को और पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय (सूची-v) क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों (मरूस्थल विकास कार्यक्रम में चिन्हित) तथा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत चिन्हित किए गए अनुसार 82 चुनिंदा आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क संबद्धता प्रदान करने के लिए कुल 1,78,184 वासस्थलों का लक्ष्य रखा गया है। खेती को बाजार से पूरी तरह से संबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा ग्रामीण सड़कों का दायरा 3.75 लाख कि.मी. (राज्यों द्वारा किए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के 40% नवीकरण सहित) के लक्ष्य के साथ-साथ इस कार्यक्रम का एक उन्नयन घटक भी है।

ग्रामीण सड़कें, भारत निर्माण के छह घटकों में से एक के रूप में चिन्हांकित की गई हैं। इसका लक्ष्य 1000 और इससे अधिक व्यक्तियों वाले सभी वासस्थानों को (पहाड़ी या अनुसूची-v जनजाति क्षेत्रों के मामले में 500 और इससे अधिक) को सभी मौसम में बनी रहने वाली सड़क संबद्धता प्रदान करना है। भारत निर्माण कार्यक्रम का उन्नयन घटक भी है, जिसका लक्ष्य खेत से बाजार तक पूर्ण संबद्धता सुनिश्चित करने के लिए 1.94 कि.मी. मौजूदा ग्रामीण सड़कों (राज्यों द्वारा निधियन की जाने वाली 40% ग्रामीण सड़कों के नवीकरण सहित) का उन्नयन करना है। राज्यों द्वारा कारणों के सत्यापन के आधार पर कुल 63,940 वास स्थानों को भारत निर्माण के तहत जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को सहायता प्रदान करने के लिए तीन विदेशी सहायता परियोजनाएं अर्थात ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-I और II, एशियाई विकास बैंक की सहायता से और ग्रामीण सड़क परियोजना-I विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में, एडीबी के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र-III परियोजना की भी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए बात-चीत चल रही है। विश्व बैंक की ग्रामीण सड़क परियोजना-II के तहत 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर 14 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का क्रियान्वयन सात राज्यों में किया जा रहा है।

संचार

डाक सेवा: वर्ष 2016-17 के लिए डाक विभाग हेतु 600 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय अनुमोदित किया गया हैं (इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 36.11 करोड़ रुपए शामिल है)। आयोजना का मुख्य जोर इन स्कीमों से संबंधित है (i) डाक प्रचालन (366.97 करोड़ रुपए, इसमें उत्तर पूर्व के लिए 36.62 करोड़ रुपए शामिल हैं) (ii) वित्तीय सेवाएं (161.70 करोड़ रुपए, इसमें उत्तर पूर्व के लिए 14.50 करोड़ रुपए शामिल हैं) (iii) मानव संसाधन प्रबंधन (39.62 करोड़ रुपए, जिसमें उत्तर पूर्व के लिए 5.10 करोड़ रुपए शामिल हैं) और (iv) संपदा प्रबंधन (31.71 करोड़, इसमें उत्तर पूर्व के लिए 3.78 करोड़ रुपए शामिल हैं)।

दूर संचार सेवाएं: वर्ष 2016-17 के लिए दूरसंचार विभाग के लिए 5800.95 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय है इसमें से रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए 3600.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी: संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) देश में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने, उनके क्रियान्वयन और समीक्षा के साथ-साथ भारत को डिजिटल रूप से शक्तिसंपन्न समाज और समझदार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने पर केन्द्रित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। आईटी क्षेत्र का 12वीं योजना में दृष्टिकोण और मिशन है - ई अवसंरचना सृजन की एक बहुमुखी कार्यनीति के जरिए भारत का ई-विकास करना ताकि फास्ट ट्रैक ई-गवर्नेंस आसान किया जा सके, इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी - सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग जो नवीन/अनुसंधान एवं विकास, जानकारी नेटवर्क बनाने और भारत से साइबर स्पेस को सुरक्षा प्रदान करने में उपयोगी होगा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए डीईआईटीवाई का आयोजना परिव्यय 3200 करोड़ रुपए है (आईईबीआर के 1514.94 करोड़ रुपए को छोड़कर)। बजटीय सहायता में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए 320.00 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 64.00 करोड़ रुपए और जनजाति उप-योजना के लिए 214.40 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। आयोजना का प्रमुख ध्यान केन्द्रीय क्षेत्र की चालू स्कीमों अर्थात (i) डिजीटल इंडिया कार्यक्रम (1282 करोड़ रुपए) जिसमें उप-योजनाएं-जनशक्ति विकास (365 करोड़ रुपए) इलेक्ट्रानिक अभिशासन और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (470 करोड़ रुपए शामिल हैं, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (250 करोड़ रुपए) इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (70 करोड़ रुपए), आईटी/आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन (5 करोड़ रुपए) और आईटी/इलेक्ट्रानिक्स/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास (122 करोड़ रुपए) शामिल है।, (ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (800 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (800 करोड़ रुपए), (iv) विनियामक प्राधिकरण (183 करोड़ रुपए), जिसमें मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (105 करोड़ रुपए), साइबर सुरक्षा (70 करोड़ रुपए) और प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (8 करोड़ रुपए) शामिल है और (v) स्वायत्त निकायों को सहायता (135 करोड़ रुपए) उन्नत संगणना विकास केन्द्र (83 करोड़ रुपए), अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान सोसायटी (35 करोड़ रुपए) इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी हेतु सामग्री केन्द्र (12 करोड़ रुपए) मीडिया लैब एशिया (5 करोड़ रुपए) शामिल है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: वर्ष 2016-17 के लिए 3122.50 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, आईजीसीएआर, कलपक्कम, राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय जैसे अपने अनुसंधान केन्द्रों और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा और अनुसंधान, प्लाजमा अनुसंधान संस्थान हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान गणित विज्ञान संस्थान आदि जैसे पूर्णता सहायता प्राप्त/अनुदान सहायता प्राप्त संस्थानों के जरिए परमाणु ऊर्जा की बारहवीं आयोजना स्कीमों पर कार्य करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड, उच्चतर गणित के लिए अनुसंधान बोर्ड जैसे अन्य संस्थानों के लिए निधियन आदि नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाने और अंतराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर के लिए व्यय हेतु निधि प्रदान करने के लिए है। इस परिव्यय में अन्य परियोजनाओं जैसाकि परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरेनियम सर्वेक्षण, संभावना तलाशना और अन्वेषण करने के लिए प्रावधान तथा हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा वैश्विक केन्द्र के लिए प्रावधान भी शामिल है।

औद्योगिक और खनिज (आईएंड एम) क्षेत्र

उद्योगों और खनिज क्षेत्र के लिए 2016-17 हेतु आयोजना परिव्यय 2778.48 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में बजटीय सहायता के रूप में 2574 करोड़ रुपए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 204.48 करोड़ रुपए शामिल है। 204.48 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों में, इंडियन रेयर अर्थ लि. इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. जैसे विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। बजटीय सहायता में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, न्यूक्लियर साइकल बोर्ड, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र/एफआरएफसीएफ, नाभिकीय ईंधन परिसर हेवी वाटर बोर्ड और विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड की बारहवीं आयोजना स्कीमों के लिए प्रावधान शामिल है। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में इक्विटी में निवेश के रूप में बजटीय सहायता को भी परिकल्पना की गई है।

नाभिकीय विद्युत स्कीमें

वर्ष 2016-17 के लिए विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कुल परिव्यय 9860.9 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में, बजटीय सहायता के जरिए 503.50 करोड़ रुपए, आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 9357.40 करोड़ रुपए शामिल है। बजटीय सहायता में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. के लिए इक्विटी में निवेश/ऋण के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. द्वारा रूसी परिसंघ की सहायता से कार्यान्वित की जा रही कुदनकुलम में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 200.00 करोड़ रुपए भी शामिल है। डीएई के अंतर्गत परिवेशी विकास परियोजनाएं (कुदनकुलम में) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाएं और विद्युत कार्यक्रम के लिए अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र भी शामिल है।

अंतरिक्ष अनुसंधान: 2016-17 के लिए अंतरिक्ष विभाग हेतु वार्षिक आयोजना परिव्यय (प्रस्तावित) 6000 करोड़ रूपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं:-

(i) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 4205.95 करोड़ रुपए

(ii) अन्तरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 843.50 करोड़ रुपए

(iii) अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए 154.45 करोड़ रुपए

(iv) इनसेट उपग्रह प्रचालन के लिए 796.10 करोड़ रुपए

समुद्र विज्ञान अनुसंधान और मौसम विज्ञानः वर्ष 2016-17 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हेतु कुल आयोजना परिव्यय 1200 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह मंत्रालय सप्तक नीतियों का कार्यान्वयन करता है और कार्यक्रम मौसम (सामान्य), कृषि, विमानन, पोत परिवहन, खेलकूद आदि, मानसून आपदा (चक्रवात, भूकम्प, सुनामी, समुद्र स्तर का बढ़ना) जीव और गैर जीव संसाधन (मत्स्यिकी सलाह पोली धात्विक नोडयूल्स गैस हाडड्रेट, ताजा पानी आदि) तटीय और समुद्री पारि-प्रणाली और जलवायु परिवर्तन, समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट मौसम संबंधी सलाह देता है। यौक्तिकीकरण को भाग के रूप में, मौजूदा 7 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों को वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 5 प्रमुख स्कीमों में पुनर्गठित किया गया है। लक्ष्यों को हासिल करने और वितरण पूरा करने के क्रियाकलापों में वर्ष 2016-17 के लिए प्रमुख कार्यक्रमों के तहत विभिन्न परियोजनाओं हेतु बजट आबंटन का ब्यौरा शामिल है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत (i) वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मोडलिंग ऑबजर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज प्रचालनात्मक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए एटमोस्फेरिक ऑबजर्वेशन सिस्टमों के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए 360 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसमें (i) मानसून मिशन मेट्रोपोलिटन एयर क्वालिटी एंड सीवीयर वेदर प्रिडिक्शन सर्विसेज शुरू करने सहित वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और मोडलिंग में अनुसंधान को बढ़ावा देना (ii) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करना। मौजूदा उच्च कार्यनिष्पादन संगणना सुविधा के प्रचालन के लिए। (2) ओशन सिर्वसेज, टेक्नोलॉजी, ऑबजर्वेशन्स, रिसोर्स मोडलिंग एंड साइंस (0-स्टोर्म्स): विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत दायरे में समुद्री सलाह की सेवाएं प्रदान करने के लिए 355 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 24x7 आधार पर सुनामी के समुद्री आपदा और तूफान की चेतावनी जारी करने में (i) समुद्री पर्यवेक्षण सुदृढ़ करना (ii) खनिज संसाधन, हाइड्रो थर्मल सल्फाइड्स और हिन्द महासागर के गहरे समुद्र और ईईजी का बैथीमेटरी (iii) समुद्री जल को पीने योग्य स्वच्छ जल में परिवर्तित करने सहित समुद्री संसाधनों को काम में लाने के लिए समुद्री प्रौद्योगिकी का विकास, गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी का विकास (iv) दो तटीय अनुसंधान पोतों के प्रतिस्थापन सहित सागर निधि और सागर मंजुषा, पश्चिमी का प्रचालन एवं रखरखाव, नए अनुसंधान पोतों का प्रचालन और रखरखाव शुरू करना और अतिप्रतिकूल मौसम की घटनाओं का अध्ययन आयोजित करने के लिए एयरबोर्न प्लेटफार्म की अधिप्राप्ति। (3) पोलर एंड क्रायोस्फेर रिसर्च क्रियाकलापों के लिए पोलर अभियानों तथा अनुसंधान क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए 156 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित है। (4) राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान केंद्र हेतु प्रावधान सहित एक समर्पित भूकंप विज्ञान और ड्रिलींग डीप बोअरवल केंद्र की स्थापना के माध्यम से भूंकपीय और भूविज्ञान (सेज) के अध्ययन के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। (5) अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच (रीचआउट) कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान के संगत क्षेत्रों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी बढ़ाने के कार्यक्रम के तहत विभिन्न अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों में बाह्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और क्षमता विकास जिसमें भारत और पड़ोसी देशों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल हैं, के लिए 49.90 करोड़ रुपये रखे गए हैं। (6) प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें पांच स्वायत्त निकाय नामशः भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद, राष्ट्रीय सामुद्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई, राष्ट्रीय अंटार्टिक और सामुद्रिक अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर), गोवा, भारतीय उषणकटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस), त्रिवेंद्रम के वेतन और अन्य पूंजी कार्य शामिल हैं, के लिए 129.10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों के लिए परिव्यय 4000.00 करोड़ रुपये है, जो छह प्रमुख उद्देश्यों नामतः नीति निर्माण, मानव क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण, संस्थागत क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भागीदारिता और सहयोग तथा सामाजिक हस्तक्षेप के अंतर्गत कार्यक्रम और गतिविधियों के लिए है। विभाग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधान और पूर्वानुमान अध्ययन शुरू करने की योजना है। मानव क्षमता सुदृढ़ करने के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रेरित अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक कार्य में नवाचार (इन्स्पायर) और उच्चतर शैक्षिक छात्रवृत्ति के कार्यक्रमों को बढ़ाया जाएगा। महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विकास की गतिविधियों के लिए विभाग से सहायता दी जाएगी। नियोजित महिला वैज्ञानिकों की गतिशीलता के कार्यक्रमों पर भी विचार किया जा रहा है।

संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रमों को शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना बेहतर करने के उद्देश्य से मजबूत किया जाएगा। विभाग प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करेगा। प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों के चयन में प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोक्ता की जरूरतों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रौद्योगिकी मंच तैयार करके विशिष्ट क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए भी कार्य किया जाएगा। नवाचार क्लस्टर्स, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, सौर उर्जा में अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों और विभाग को जलवायु परिवर्तन संबंधी समनुदेशित मिशनों को भी मजबूत किया जाएगा।

राज्य स्तर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारी और केंद्र-राज्य प्रौद्योगिकी भागीदारी के लिए नया तंत्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अंतराष्ट्रीय स्वरूप के बहु-संस्थागत और बहु-एजेंसी तंत्रों के जरिए बृहत् वैज्ञानिक परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी। डिइटी के सहयोग से देश की सुपर कम्प्यूटींग क्षमता बढ़ाई जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक संबंध इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकियां पहुंचाने के लिए समुचित बल दिया जाएगा। सहायता हेतु नए संस्थानों की पहचान करके उद्यमशीलता और विकासशील कार्यक्रमों को सुदृढ किया जाएगा। देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ एससीएसपी और टीएसपी के लिए भी निधियां रखी गई हैं। "तकनीकी अनुसंधान केंद्रों" के लिए भी आवंटन किए गए हैं।

अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधानः वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का आयोजना परिव्यय 2300.00 करोड़ रुपये है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को 2160.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान शामिल है। आयोजना कार्यकलाप दस स्कीमों के माध्यम से चलाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 6 वर्तमान स्कीमें हैं और चार नई स्कीमें हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना (वर्तमान में चल रही) के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, सूचना विज्ञान और भौतिक विज्ञान में आरएंडडी गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। उत्पाद प्रक्रिया विकास को मापना और उसे वैध करना मुख्य कार्यकलाप होगा। वर्तमान में चल रही अन्य योजनाओं नामतः राष्ट्रीय एसएंडटी मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन; आरएंडडी प्रबंधन सहायता, नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल और नवाचार समूह, के अंतर्गत गतिविधियाँ सुकेन्द्रित लक्ष्यों के रुप में प्रारंभ की जाएंगी।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की आयोजना गतिविधियां चार विभागीय योजनाओं के जरिए चलाई जाने के लिए प्रस्तावित हैं जो इस प्रकार हैं, (i) व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (प्रिज्म) में नवाचार का संवर्धन, (ii) पेटेंट अभिग्रहण और सहयोगी अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास (पेस) (iii) औद्योगिक आरएंडडी तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण और (iv) प्रौद्योगिकी विकास हेतु ज्ञान और प्रसार तक पहुंच (ए2के+) और सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों संबंधी योजनाएं नामतः (i) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईल) और (ii) नेशनल रिसर्च विकास निगम (एनआरडीसी) और कंसलटेंसी विकास केन्द्र (सीडीसी) जो एक स्वायत्त संगठन है।

जैव प्रौद्योगिकी : जैव प्रौद्योगिकी विभाग का वर्ष 2016-17 का परिव्यय 1600.00 करोड़ रुपये है। कुछ प्रमुख पहलों में नए टीकों के विकास के संबंध में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय भागीदारी, नवोन्मेषी भारत के संवर्धन के लिए त्वरित ड्रग खोज हेतु औद्योगिक शैक्षणिक मिशन, उच्च स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण गतिविधियां, नए समुद्री जीवविज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, कैन्सर, डायबिटिज इत्यादि के जीनोम से संबंधित विशाल आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नॉलेज प्रोसेसिंग केंद्र, जलवायु परिवर्तन और कृषि, स्वच्छ ऊर्जा पर उसके प्रभाव से निपटने के लिए पशुओं और तिलहनों का जीनोमिक्स जैवप्रौद्योगिकी में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शामिल हैं। सिस्टम जीवविज्ञान, सिंथेटिक जीवविज्ञान, जीनोमिक्स, स्टेम सेल जीवविज्ञान और रिजनरेटीव मेडिसिन और कम्प्यूटेशन जीवविज्ञान के साथ वैक्सिन, डायग्नोस्टिक्स और बायोमार्कर के प्रौद्योगिकी विकास के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास, सरकारी निजी भागीदारी और अवसंरचना विकास पर बल दिया जाता रहेगा। अधिदेश के अनुसार कृषिजन्य उत्पादकता और स्वास्थ्य देखभाल के लिए संकेंद्रित अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए 15 स्वायत्त संस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। विज्ञान क्षेत्र के उद्योग को दी जाने वाली सेवाओं के लिए अनुसंधान संसाधन, मंच और इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।

भेषज: विभाग का परिव्यय 160.00 करोड़ रुपए हैं (निपेरा) जिनके मोहाली, कोलकाता, अहमदाबाद, जिसमें से 100.00 करोड़ रुपए 11 राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रायबरेली, हैदराबाद, हाजीपुर, मदुराई और गुवाहाटी में केंद्र हैं तथा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित तीन नए निपेर के लिए 100.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जन औषधि स्कीम को 35.00 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है। नई भेषज योजनाओं, जिसमें कलस्टरों का विकास शामिल है, को 25.00 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है।

पर्यटन : पर्यटन मंत्रालय का परिव्यय 1500.00 करोड़ रुपए है (जिसमें पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए 150 करोड़ रुपए और टीएसपी शीर्ष के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपए शामिल हैं) 900 करोड़ रुपए का प्रावधान मंत्रालय की अवसंरचना स्कीमों के लिए किया गया है। पर्यटन मंत्रालय का कुल परिव्यय 3 स्कीमों के लिए है जो इस प्रकार है (1) अवसंरचना विकास (2) संवर्धन और प्राचर प्रसार और (3) प्रशिक्षण और कौशल विकास। अवसंरचना विकास के अंतर्गत स्कीमें विशिष्ट थीम वाले पर्यटक सर्किटों के समेकित विकास संबंधी हैं जो इस प्रकार है - स्वदेश दर्शन; (पूर्वोत्तर सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजाति सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट तथा राष्ट्रीय तीर्थ पुनरुत्थान और आध्यात्मिक वर्धन अभियान -प्रसाद; (द्वाराका, अमृत्तसर, अजमेर, मथुरा, वाराणासी, गया, पुरी अमरावली, काचीपुरम और वेलाकिनी, केदारनाथ, कामाख्या तथा पटना) पर्यटन भवन, बुद्धिस्ट केंद्र जिनमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना शामिल है, आवास, अव-संरचना, बाजार अनुसंधान जिसमें 20 वर्षीय संभावना योजना शामिल है, को प्रोत्साहन; गंतव्य और सर्किटों के लिए उथ्याद अव-संरचना विकास; पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता। संवर्धन और प्रचार-प्रसार के तहत आने वाली स्कीमें घरेलू संवर्धन और प्रचार-प्रसार हैं जिनमें आतिथ्य सत्तकार, विदेशों में संवर्धन शामिल है तथा प्रचार-प्रसार में बाजार विकास सहायता, अंतरार्ष्टय सहयोग तथा अन्य हानियां शामिल हैं। प्रशिक्षण और कौशल विकास के अंतर्गत आने वाली स्कीमों में आईएचएम/एफसीआई को सहायता, सेवा प्रदात्ताओं के लिए क्षमता निर्माण शामिल है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन : वाणिज्य विभाग का वर्ष 2016-17 का परिव्यय 2300.00 करोड़ रुपए है। इसमें राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के लिए आवंटन 400 करोड़ रुपए ब्याज समकरण योजना के लिए आवंटन 1000 करोड़ रुपए तथा बाजार पहुंच पहल के लिए आवंटन 250 करोड़ रुपए है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

कारपोरेट कार्य: वर्ष 2016-17 हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 20.00 करोड़ रुपए है। यह मुख्यतः कारपोरेट मामलों में दीर्घावधिक और अल्पावधिक पाठ्यक्रमों को चलाने के विभिन्न विषयों, एनजीओ हब की स्थापना करने और कारपोरेटों को अन्य सीएसआर संबद्ध सेवाओं को उपलब्ध कराने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की वकालत और प्रचार-प्रसार और अन्तर विषय अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतर-विषय अनुसंधान और सूचना/ज्ञान विनिमय के लिए विभिन्न संभावित सहयोगों संबंधी - खोज का प्रावधान है।

वित्तीय सेवाएं: 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड, इंडिया माइक्रो फाइनेस इक्विटी फण्ड के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) और कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी के पुनः पूंजीकरण हेतु 27000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु 1500.00 करोड़ रुपए, भारत आकाक्षा निधि हेतु 600 करोड़ रुपए, आम आदमी बीमा योजना हेतु 450 करोड़ रुपए तथा अटल पेंशन हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

विदेश मंत्रालय: विदेश मंत्रालय का वर्ष 2016-17 का परिव्यय 4720 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्यतः पड़ोसी देशों को भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम की दिशा में अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। ये परियोजनाएं भूटान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान में स्थित हैं। जिसमें अनिवासी भारतीयों के लिए स्वर्ण प्रवास योजना, बिहार सरकार द्वारा नालंदा में दिए गए स्थान पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु है जो इस समय चल रही है। यह विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रुप में स्थापित किया जाएगा।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षा: सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शिक्षा उपकर से प्रति आगमों द्वारा 20,272.65 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इसे प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा कोष के अंतर्गत निधि का उपयोग मुख्यतया सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: सभी को शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल करने के लिए एसएसए और आरएमएसए की स्कीमों को राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में शामिल किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) : यह विभाग का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसकी शुरूआत प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए किया गया है। इसका क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच भागीदारी से किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सुलभता, साम्यता बनाए रखने और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से रखे गए 2,200.00 करोड़ रुपए सहित सर्व शिक्षा अभियान के लिए 22,200.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

मध्याह्न भोजन योजना: विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक और प्राथमिक उच्च स्तर के बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त सफलता को देखते हुए इस योजना का विस्तार 1 अक्तूबर, 2007 से 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में उच्च प्राथमिक स्तर पर किया गया है। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रारम्भिक स्तर के बच्चों (कक्षा I से VIII

तक) को शामिल किया जाता है। इस योजना हेतु परिव्यय 9700.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए 942.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

माध्यमिक शिक्षाः माध्यमिक शिक्षा के लिए 6633.50 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 653.00 करोड़ रुपए भी शामिल है। इस आबंटन में अन्य के साथ-साथ नवोदय विद्यालय समिति के लिए 1900.00 करोड़ रुपए (190.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 1100.00 करोड़ रुपए (110.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता और माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए एक प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को 3600.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर के लिए 350.00 करोड़ रुपए) का अनुमोदन किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा - प्रौढ़ शिक्षा के लिए 430.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 43.00 करोड़ रुपए) आवंटित किये गए हैं। इस आवंटन में अन्य के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/संस्थाओं/एसआरसी की सहायता के लिए 100.00 करोड़ रुपए (10.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा - उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए योजनान्तर्गत 16500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में विभिन्न उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 2050.00 करोड़ रुपए का आबंटन प्रदान किया गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों के लिए 1925.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। ''राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान" के लिए 1300.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 140.00 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान किया गया है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन" के लिए 200.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, के लिए 100.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 15.00 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए (पूर्वोत्तर के लिए 200.00 करोड़ रुपए) 2625.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ''नए आईआईटी की स्थापना'' हेतु 190.00 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 1444.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर सहित) को 800.00 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान और ''नए आईआईएम की स्थापना'' हेतु 695.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्नत भारत, उच्चतर आविष्कार अभियान, इंप्रिंट अनुसंधान पहल का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय डिजीटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क तथा अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल हेतु 165.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

कौशल विकास और उद्यमशीलताः मंत्रालय का आरंभिक फोकस गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करते हुए भारत में कौशल विकास और उद्यमशीलता के प्रयासों में गति और विस्तार के लिए एक मजबूत नीतिगत फ्रेमवर्क और कार्रवाई कार्यक्रम को विकसित करना है। इस मंत्रालय की आयोजना स्कीमों के लिए वर्ष 2016-17 हेतु 1500.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1300.00 करोड़ रुपए तथा प्रशिक्षण और उद्यमशीलता की अन्य स्कीमों के लिए 200.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

खेलकूद और युवा सेवाएंः युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 1400.00 करोड़ रुपए है। युवा कार्य के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतया नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा नेता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय युवा कोर के लिए 346.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खेलों के संबंध में, भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान, पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय की योजना के लिए 453.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। खेलकूद के विकास और संवर्धन के लिए ''खेलो इंडिया'' नामक अम्ब्रेला स्कीम के लिए 215 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

कला और संस्कृतिः वर्ष 2016-17 में संस्कृति मंत्रालय की वार्षिक आयोजना के लिए 1755.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए अनुमोदित संशोधित नई युक्तिसंगत अम्ब्रेला स्कीमों के अनुसार, इस परिव्यय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सांस्कृतिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों, कला संस्कृति विकास योजना, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग वर्ष 2016-17 के दौरान मंत्रालय की शताब्दी और वर्षगांठ समारोह स्कीमों के लिए प्रावधान शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/स्कीमों की भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए 70.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 175.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों/स्कीमों के लिए जनजाति उप-योजना के अंतर्गत 35.10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य : वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का योजना परिव्यय 31300.00 करोड़ रुपए है (सीएसएस 21825.00 करोड़ रुपए और सीएस 9475.00 करोड़ रुपए)।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम का उद्देश्य त्रितीयक क्षेत्र को सुदृढ़ करना और इसमें नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना और मौजूदा राज्य सरकार के अस्पतालों के उन्नयन की परिकल्पना है। 2016-17 के दौरान इस योजना के लिए 2450.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन : अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की गई थी जिसका उद्देश्य जनसंख्या के विशेष रूप से निर्धन और कमजोर वर्गों को अभिगम्य, वहनीय और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान, स्वास्थ्य हेतु और वित्तीय संसाधनों के आवंटन, ग्रामीण विशेषकर हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों पर और अधिक ध्यान देने और उत्तरदायित्व के स्तंभ के रूप में शीर्ष कार्यक्रमों के एकीकरण, विकेंद्रीकरण और सामुदायीकरण के माध्यम से अवसंरचनात्मक सुधार लाने में राज्य सरकारों के हाथों को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को अन्य उप-मिशन के रूप में मौजूदा एनआरएचएम के साथ 1 मई, 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक उपमिशन के रूप में अनुमोदित किया गया था। एनयूएचएम का उद्देश्य शहरी जनता को साम्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, लक्षित अभिगम सेवाओं और समुदाय व शहरी स्थानिक निकायों की भागीदारी के माध्यम से समाज के झुग्गी-झोपड़ी वाले व कमजोर वर्गों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक समान पहुंच बनाने पर विशेष बल दिया गया है।

एनआरएचएम और एनयूएचएम के क्रियान्वयन हेतु ढांचों के साथ पठित एनएचएम के क्रियान्वयन हेतु ढांचे में एनएचएम के व्यापक सिद्धांतों और रणनीतिक निदेशों का निर्धारण किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य प्रणालियों, संस्थानों और कार्य क्षमता के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की सार्वभौमिक पहुंच की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन अभिप्रेत है।

एनएचएम के अंतर्गत राज्य को निम्नलिखित पांच प्रमुख घटकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है :

(i) एनआरएचएम और एनयूएचएम के अंतर्गत अवसंरचना, मानव संसाधन, औषधि और उपस्कर, एम्बुलेंस, एमएमयू, आशा इत्यादि सहित स्वास्थ्य प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण

(ii) जननीय, मातृक, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य सेवाएं (आरएमएनसीएच+ए)

(iii) संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(iv) गैर-संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल स्तर तक कार्यवाही

(v) अवसंरचना का रखरखाव : एएनएम और एलएचवी इत्यादि के वेतन संबंधी सहायता।

मिशन इंद्रधनुष : आंशिक रूप से टीकाकृत या अटीकाकृत सभी छूटे बच्चों को कवर करने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया है ताकि वर्ष 2020 तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए इसे और तीव्र किया जा सके। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बच्चों को जानलेवा परंतु टीके से निवारणीय रोगों के विरूद्ध पूर्णतः टीकाकृत किया जा रहा है, इन रोगों में डिपथेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपटाइटिस-बी और मेनिन्जाइटिस तथा हीमोफाइलस एन्फ्लुएंजा टाइप के कारण न्यूमोनिया शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जापानी एनसीफलाइटिस (जापानी बुखार) के विरूद्ध टीकाकरण देश के स्थानिक महामारी वाले जिलों में किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को भी टेटनस के विरूद्ध टीकाकृत किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष में उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है जिनमें अत्यधिक संख्या में बच्चे आंशिक रूप से टीकाकृत या बिल्कुल टीकाकृत नहीं हैं। मिशन इंद्रधनुष संबंधी क्रियाकलाप प्रत्येक माह में एक सप्ताह की अवधि (अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 और अक्तूबर, 2015 से जनवरी, 2016) के दौरान किया गया था, इस अवधि के दौरान गहन टीकाकरण दौर चलाए गए थे। यह क्रियाकलाप 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 480 जिलों में संचालित किया गया था। इन दौरों के पूरा होने के बाद, मिशन इंद्रधनुष के तहत् नियोजित सत्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रूटीन टीकाकरण की सूक्ष्म योजना के भाग के रूप में शामिल किया गया था जिससे स्वास्थ्य तंत्र के सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना : यह केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2008 में क्रियान्वित किया गया था। अब इस स्कीम को 01.04.2015 से 'जहां है जैसा है' आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह स्कीम बीमा कंपनियों और राज्य सरकार के बीच राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा प्रस्तुत संविदागत व्यवस्था के माध्यम से राज्य स्तर पर क्रियान्वित की जाती है। आरएसबीवाई एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम होने के कारण इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तपोषण की भागीदारी क्रमशः 60:40 की है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों नामतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में यह हिस्सेदारी 90:10 की हो जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में यह शत-प्रतिशत है।

स्वास्थ्य अनुसंधान : स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का योजना परिव्यय 750.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्कीमों/परियोजनाओं के लाभ हेतु 75.00 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो एक शीर्ष निकाय है, जिसे जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वयन और सूत्रीकरण हेतु अधिदेश प्राप्त है, केा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, पोषण असंचारी रोग में अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के लिए रखरखाव अनुदान प्राप्त होता है। परिषद जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक दवाइयां और सूचना के प्रकाशन और प्रसार में भी कार्यरत है।

भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी), भोपाल को भोपाल गैस के पीड़ितों के उपचार के लिए भोपाल मेमोरियल अस्पताल ट्रस्ट (बीएमएचटी) के अधीन वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। बीएमएचआरसी का प्रशासनिक नियंत्रण तभी से स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है।

आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) : इस मंत्रालय की दूरदृष्टिता एक स्वस्थ भारत के लक्ष्य के लिए एक बेहतर जीवन प्रणाली और पद्धति के रूप में आयुष तंत्रों को स्थापित करना है। अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से मंत्रालय ने संगठित और वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों के विकास और संवर्द्धन की परिकल्पना की है। अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मंत्रालय के पास दो विनियामक परिषदें, पांच अनुसंधान परिषदें, सात राष्ट्रीय संस्थान, दो भेषज प्रयोगशालाएं, एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और आयुर्वेद और यूनानी औषधि के विनिर्माण के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस विभाग ने अपनी नीति की बढ़ती व्यापकता के अंतर्गत आयुष शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान मानकीकरण और औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण, औषधीय पौधों के संरक्षण-खेती-प्रसंस्करण, पारंपरिक औषधीय ज्ञान के संरक्षण, आईईएस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जन-जागरूकता का निर्माण इत्यादि के क्षेत्रों में संवर्द्धनात्मक और विकासात्मक पहलों की विविध श्रृंखला को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक, विनियामक और तकनीकी प्रकृति के बहुआयामी क्रियाकालपों और केंद्रीय व केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन का बीड़ा उठाया है। आयुष के लिए वर्ष 2016-17 का योजना परिव्यय 1050 करोड़ रुपए है।

महिला और बाल विकास : मंत्रालय का 2016-17 का आयोजना परिव्यय 17,300 करोड़ रुपए है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए 1730 करोड़ रुपए शामिल हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम (आईसीडीएस) इस मंत्रालय की अग्रणी स्कीम है। वर्ष 2016-17 में आईसीडीएस के लिए 14,000 करोड़ रुपए का आबंटन है। इस स्कीम में छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पूरक पोषाहार व शैक्षिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, रेफरल सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने मांग पर 20,000 आंगनवाड़ी सहित 7076 परियोजनाओं की संचयी संख्या और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं।

2. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन में मातृक व बाल कुपोषण को दूर करने, कुपोषण के विरूद्ध एक राष्ट्र व्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाना तथा संबद्ध मंत्रालयों के कार्यक्रमों और स्कीमों में पोषाहार को केंद्र बिंदु बनाना अभिप्रेत है। इसमें आईसीडीएस प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और पोषाहार सुधार परियोजना भी शामिल हैं जो आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जा रही हैं। इसमें पोषाहार में एकीकृत शिक्षा (आईईएन) भी शामिल है जिसमें पोषाहार समर्थन (एडवोकेसी), आधारिक स्तर के पदाधिकारियों और सामुदायिक स्वयंसेवकों की लामवंदी तथा चार उन्नत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण समाविष्ट है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला) 2010-11 से कार्यान्वयनाधीन है जो किशोरियों (11-18 वर्ष) की बहुपक्षीय समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। शुरू में यह स्कीम प्रयोगिक आधार पर देश भर में 205 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में सबला के लिए आबंटन 460 करोड़ रुपए है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) जो एक सशर्त मातृत्व लाभ (सीएमबी) स्कीम है, मौजूदा आईसीडीएस कार्यक्रम के ढांचे का उपयोग करने वाला देश के चुनिंदा 53 जिलों में एक प्रायोगिक उपाय है। यह सशर्त नकद अंतरण के रूप में एक न्यूनीकरण उपाय है, जिसमें गर्भावस्था और स्तनपान कराने की अवधि के दौरान महिलाओं को मातृत्व लाभ के रूप में मजदूरी में हुई हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2016-17 के लिए आईजीएमएसवाई हेतु आवंटन 400 करोड़ रुपए है।

3. अन्य केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम 'एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीसीएस)' उन बच्चों के व्यापक विकास के लिए सुरक्षित ओर निश्चित वातावरण सृजित करने के विचार से क्रियान्वित की जा रही है, जिन्हें देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है और जो कानून के अंतर्गत विवादग्रस्त हैं और असुरक्षित हैं। यह स्कीम प्रमुख रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से वित्त वर्ष 2009-10 से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में आईसीपीएस के लिए 400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें देखभाल व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण संबंधी स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपए भी शामिल है।

4. महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु स्कीम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की नीतियों और स्कीमों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विविध क्रियाकलापों में अभिसारिता लाना है। संकटग्रस्त और मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं को स्वाधार गृह और उज्जवला घरों के माध्यम से आश्रय दिया जाएगा और उन्हें परिवार के साथ/समाज में प्रत्यावर्तित और पुनः समेकित किया जाएगा तथा साथ ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार व आय अर्जन के योग्य बनाया जा सके और घरों से दूर नियुक्त महिलाओं को सुरक्षित व वहनीय आवास (छात्रवास) प्रदान किया जाएगा।

5. सरकार की 'बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं' पहल का लक्ष्य पूरे देश में जन अभियान के जरिए गिरते बालिका-बालक अनुपात की समस्या का समाधान करना और निम्न बालिका-बालक अनुपात वाले चुनिंदा 100 जिलों में संकेंद्रित उपाय और बहुक्षेत्रीय कार्रवाई करना है। इस स्कीम को निम्न बालिका-बालक अनुपात वाले 200 उच्च दबाव वाले जिलों में से 61 जिलों तक विस्तारित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य बालिका का लालन-पालन करना और उसे शिक्षित करना है। वर्ष 2016-17 के दौरान 100.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

6. एकल स्टॉप केंद्र परिवार, समुदाय, कार्यस्थल इत्यादि सहित निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे सहायता प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से निर्मित किया गया है। स्कीम का उद्देश्य हिंसा द्वारा प्रभावित महिलाओं को चिकित्सीय सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/वाद प्रबंधन, मनोचिकित्सीय परामर्श और अस्थायी सहायक सेवाओं सहित अनेक समेकित सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान 75.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2015 को महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण की स्कीम को अनुमोदित किया है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। महिला हेल्पलाइन से निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन अनुक्रिया प्राप्त होगी। इस स्कीम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान 25.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये दोनों स्कीमें निर्भया विधि से वित्तपोषित की जा रही हैं।

जल आपूर्ति और स्वच्छता : स्वच्छ भारत एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन और स्वच्छ भारत अभियान आते हैं :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों और परिवारों को हैंडपंपों, पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं आदि के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेय जलापूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित घटकों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है : (i) जलापूर्ति में आंशिक रूप से कवर और गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों की कवरेज (ii) जलापूर्ति में गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों की कवरेज, (iii) स्रोत और प्रणाली सुस्थिरता उपाय शुरू करना, (iv) मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण, (v) जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी, और (vi) सूचना और शिक्षा संचार (आईईसी) प्रशिक्षण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), कम्प्यूटरीकरण, अनुसंधान और विकास आदि पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड) को छोड़कर जिन्हें 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है, केंद्र और राज्यों के बीच कवरेज, गुणवत्ता और प्रचालन व अनुरक्षण के घटकों के लिए 50:50 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। सुस्थिरता, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी और सहायता घटकों को पूर्वोत्तर राज्यों व हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जहां वित्तपोषण पैटर्न 90:10 है, शेष सभी राज्यों में वित्तपोषण 60:40 अनुपात में किया जाता है। दिनांक 1.4.2015 की स्थिति के अनुसार देशभर में 17.13 लाख ग्रामीण बस्तियों में से 12.70 लाख बस्तियां स्वच्छ और समुचित पेयजल आपूर्ति से पूरी तरह कवर की गई है। 2016-17 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी और ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 475 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटन का 22 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, ग्रामीण लोगों को पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं में कवरेज पर बल, चल रही योजनाओं को पूर्ण करना, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज को प्राथमिकता देना, ग्रामीण जलापूर्ति स्वच्छता की कवरेज पर ध्यान देना, विशेष रूप से पानी की तंगी वाले खंडों में निरंतरता घटक के इष्टतम उपभोग की अभिसारिता के लिए ग्रामीण स्वच्छता, आयोजना के साथ जलापूर्ति पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया जाएगा।

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति त्वरित करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छता की 100 प्रतिशत पहुंच हासिल करना है। स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) की परियोजनाएं समस्त ग्रामीण भारत में 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 642 जिलों को शामिल करते हुए शुरू की गई हैं, जिसके लिए वर्ष 2016-17 हेतु 9000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रसताव है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 900 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुल आवंटन में से 22 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना पर व्यय पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

सबके लिए आवास

ग्रामीण आवास : वर्ष 2016-17 के लिए ग्रामीण आवास हेतु 10500.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है, जिसमें से 1050.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य मुख्य रूप से निवास इकाइयों के निर्माण के लिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए मौजूदा मरम्मत न किए गए कच्चा मकानों के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना है। 1995-96 से स्कीम का लाभ युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के परिवारों तक बढ़ाया गया है। इस स्कीम के तहत कम से कम 60 प्रतिशत निधि गरीबी रेखा के नीचे जीवन मापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए निर्धारित की गई है। 3 प्रतिशत निधि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। प्रधानमंत्री आवास योजना की निधियां और भौतिक लक्ष्य भी बीपीएल अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित (15 प्रतिशत) किया गया है। प्रत्येक मकान के लिए इस स्कीम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहयता मैदानी क्षेत्र में 70,000 रुपए, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों/वामपंथी उग्रवाद जिलों में 75,000 रुपए है। कच्चा जीर्ण-शीर्ण मकान के उन्नयन के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। 'स्वच्छ भारत

अभियान' के साथ अभिसरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की अधिदेशित अपेक्षा स्वच्छ संडास है।

शहरी आवास : "सभी के लिए 2022 तक आवास" की कल्पना के चलते सरकार ने शहरी आवास हेतु फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के 5400.00 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 5075.00 करोड़ रुपए 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का घर मुहैया कराने के उद्देश्य से शहरी आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अपलब्ध कराए गए हैं । यह मिशन मलिन बस्ती निवासियों, बेघर निस्सहाय और प्रवासियों जैसे सभी शहरी गरीबों की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करने की समुचित कार्ययोजनाएं बनाएगा और इसमें शहरों व कस्बों को कवर करेगा। दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना (डे) (शहरी) स्कीम के अंतर्गत 325.00 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं जो शहरी गरीबों हेतु धारणीय आजीविका अवसर सृजित करने का प्रयोजन हल करेगी।

शहरी विकास : शहरी विकास मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 2566.49 करोड़ रुपए के आं.ब.बा.सं. के चलते 21,100 करोड़ रुपए है। इसमें स्मार्ट शहरों और अटल पुनरुद्धार मिशन व शहरी परिवर्तन (अमृत) हेतु 7205 करोड़ रुपए शामिल हैं। मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाइका) ऋण, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, चेन्नई, बंगलौर, अहमदाबाद, नागपुर, मुंबई, कोच्ची, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, नागपुर और विजयवाड़ा व वाइजैग मेट्रो सहित अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु अनुदान और अधीनस्थ ऋण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2015-16 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 2300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय दाय शहर कार्यक्रम (ह्रदय) हेतु भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव घटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित व शहरीकृत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सामान्य पूल के आवास-आवासीय व गैर-आवासीय हेतु तथा क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सेमिनार, संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

सूचना, प्रचार और प्रसारण : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 2016-17 का वार्षिक आयोजना आवंटन 1000.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें 800.00 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता और 200.00 करोड़ रुपए आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र : पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय अपनी पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों और संसाधनों के अव्यपगत केंद्रीय पूल और अन्य आयोजना स्कीमों के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा। अवसंरचना परियोजनाओं में सड़क, पुल, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पेयजल आपूर्ति, मृदाक्षरण रोकने आदि जैसे विभिन्न व्यापक क्षेत्र कवर किए जाएंगे। व्यापक विस्तार वाली स्कीमों की सहायता करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद को 800.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एनएलसीपीआर के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के सामरिक अंतराल पाटने के लिए 700.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सूक्ष्म वित्त और लघु क्षेत्र की सहायता बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को 75.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एनएलसीपीआर केंद्रीय योजना के अंतर्गत रेल, विद्युत पारेषण। वितरण तथा स्वास्थ्य के लिए 200.00 करोड़ रुपए की सहयाता दी जा रही है। अवसंरचना सुविधाओं के सृजन और उन्नयन हेतु सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 170.00 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपेक्षित (अनाथ) अंतर-राज्यीय सड़कों के निधिपोषण हेतु पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम को 150.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों का कल्याण : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु 6500.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अनुसूचित जातियों हेतु मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति हेतु 2791.00 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता योजना हेतु 800.00 करोड़ रुपए और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति योजना हेतु 885.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अशक्तता मामले : अशक्तता मामले विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु 700.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें सहायता और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांगजनों की सहायता योजना हेतु 130.00 करोड़ रुपए; सुगम्य भारत अभियान से संबंधित योजना और विकलांगजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु 193.00 करोड़ रुपए और विभिन्न राष्ट्रीय विकलांगजन संस्थानों हेतु 113.00 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।

जनजातीय कार्य : चिह्नित परिणामों हेतु मंत्रालय की सभी योजनाओं के संसाधन मिलाकर वनबंधु कल्याण योजना नामक नई महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की गई है। साक्ष्य आधारित योजनाकरण और हस्तक्षेपों की पुनः इंजीनियरिंग पर ध्यान इसकी कुंजी है। रोजगार योग्य कौशलों पर विशेष ध्यान दिया गया है और मूल्य वर्धित आजीविका परियोजनाओं को सहायता दी गई है। मानव विकास सूचकांकों में सुधार करना और तीसरे पक्ष का मूल्यांकन इस प्रक्रिया के भाग हैं। 4800.00 करोड़ रुपए के आवंटन में जनजातीय क्षेत्र उप-योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता (1250.00 करोड़ रुपए), संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत योजना (1400.00 करोड़ रुपए), जनजातीय संस्थाएं (140.00 करोड़ रुपए), अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अंब्रेला स्कीम; वनबंधु कल्याण योजना (504.78 करोड़ रुपए), जनजातियों के विकास हेतु अंब्रेला स्कीम; जनजातीय शिक्षा (1505.22 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

अल्पसंख्यक : अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का आयोजना परिव्यय अल्पसंख्यकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु पूर्वोत्तर व सिक्किम के प्रावधानों सहित 3800.00 करोड़ रुपए है। जिसमें से पूर्व और पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम हेतु 1395 करोड़ रुपए आवंटित हैं और शैक्षणिक और आजीविका कार्यक्रम "नई मंजिल" हेतु 385 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

श्रम और रोजगार : श्रम और रोजगार मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 1550.00 करोड़ रुपए है। इसमें जोर श्रमिक रोजगार और प्रशिक्षण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा, कार्य दशाओं में सुधार और बालक/महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर है। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्कीमों, वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, अ.जा./अ.ज.जा. व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, एसएसपी, टीएसपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम्म हेतु भी प्रावधान किया गया है।

सामान्य सेवाएं

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन : वर्ष 2016-17 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का केंद्रीय आयोजना परिव्यय एमपीएलएडीएस हेतु 3950.00 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित 4200.00 करोड़ रुपए है। इन आयोजना स्कीमों के मुख्य उद्देश्य देश की सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है ताकि न्यूनतम समय अंतराल में डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और बेहतर नीति सुसाध्य बनाने के लिए डाटा अंतरालों को पाटने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजना बनाने सहित गुणवत्ता आश्वासित की जा सके। इसके अतिरिक्त, उद्देश्य यह भी है कि बीस सूत्री कार्यक्रम, अवसंरचना क्षेत्र का निष्पादन 150.00 करोड़ रुपए और उससे अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं का अनुवीक्षण किया जाए।

योजना : अटल नवाचार मिशन (एम) शैक्षणिक, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं सहित नवाचार संवर्धन मंच होगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तैयार करेगा ताकि भारत में नवाचार अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके। अटल नवाचार मिशन अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के जरिए प्रवर्त्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र सृजित करेगा। स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) तकनीकी-वित्तीय, उष्मायन और सुसाध्यकरण कार्यक्रम होगा ताकि स्टार्ट-अप व्यवसाय और अन्य स्व-रोजगार के कार्यकलापों, विशेषतया प्रौद्योगिकी-चालित क्षेत्रों के सभी पहलुओं की सहायता की जा सके।

न्याय प्रशासन : न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 900 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधायी सुधारों

अर्थात आदर्श न्यायालयों की स्थापना, न्यायिक सुधारों संबंधी कार्य अनुसंधान और अध्ययन, न्याय तक पहुंच, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में ई-न्यायालय, न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (क्षमता निर्माण और अवसंरचना सुविधाएं) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

गृह मंत्रालय : वर्ष 2016-17 की आयोजना स्कीमों हेतु "पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना" की अंब्रेला केंद्रीय प्रायोजित स्कीम हेतु 250.00 करोड़ रुपए और सीमा प्रबंधन व विकास कार्यक्रम हेतु 2540.00 करोड़ रुपए सहित 8800.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। पीड़ितों से संकटकालीन संकेतों के बैकएँड समेकन संबंधी स्कीम हेतु निर्भया कोष से 150.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है ।

अनुबंध क

केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) : (क) महत्वपूर्ण स्कीमों का सार

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
3. अनुसूचित जातियों के विकास हेतु अंब्रेला स्कीम
4. अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अंब्रेला कार्यक्रम
   (जनजातीय शिक्षा एवं वन बंधु कल्याण योजना)
5. पिछड़े वर्गों और अन्य संवेदनशील समूहों के विकास हेतु अंब्रेला कार्यक्रम
6. अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अंब्रेला कार्यक्रम
   (क) अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
   (ख) मदरसों और अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा योजना

अनुबंध ख

केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें : (ख) महत्वपूर्ण स्कीमें

1. हरित क्रांति
   (क) कृषि उन्नति योजना
   (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2. श्वेत क्रांति - राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना
   (पशुधन मिशन, पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा डेयरी विकास)
3. नील क्रांति
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
   (क) त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (हर खेत को पानी)
   (ख) प्रति बूंद अधिक फसल
   (ग) समेकित जलसंभर विकास कार्यक्रम
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन
7. स्वच्छ भारत अभियान
   (क) स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण
   (ख) स्वच्छ भारत अभियान - शहरी
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
   (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - ग्रामीण तथा शहरी मिशन
   (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन
   (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - आयुष
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
10 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम)
   (क) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - सर्व शिक्षा अभियान
   (ख) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन
   (ग) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा
   (घ) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
11. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
12. समेकित बाल विकास सेवाएं (अम्ब्रेला आईसीडीएस)
   (क) प्रमुख आईसीडीएस
   (ख) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन
   (ग) मातृत्व लाभ कार्यक्रम
   (घ) किशोरी कन्याओं हेतु स्कीम
   (ङ) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम
13 प्रधानमंत्री आवास योजना
   (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
   (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
14. वानिकी और वन्य जीव
   (क) राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन
   (ख) एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास
   (ग) प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण
15 शहरी नवीकरण मिशन - स्मार्ट शहर और अमृत (एएमआरयूटी)
16 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
17 न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं
18 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम

ग वैकल्पिक स्कीम

1. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन (ग्रामीण-शहरी) मिशन

अनुबंध ग

(₹ करोड़)

	मंत्रालय/विभाग (स्कीम का नाम भी, यदि लागू हो)	एजेंसी का नाम	राशि
1.	विद्युत मंत्रालय	विद्युत वित्त निगम/ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	5000
2.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	4000
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	15000
4.	पोत परिवहन मंत्रालय	भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	1000
5.	कृषि मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	6300